न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 106/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/538)

1. भगवान सिंह पुत्र नाथूसिंह जाति गुर्जर, निवासी बाढ बगीची, श्यालावास कला तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. धारासिंह पुत्र रामदयाल जाति गुर्जर, निवासी श्यालावास कला तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान।
2. भू आवंटन सलाहकार समिति एवं उपजिला अधिकारी दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 13.12.2023 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी धारासिंह बनाम भगवान सिंह व अन्य प्रकरण संख्या 11/2019 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हेमन्त सोगानी, वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 15.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 13.12.2023 के विरूद्ध दिनांक 15.12.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उप जिलाधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 16.06.1972 को ग्राम श्यालावास कलां, तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं0 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन हाल अपीलान्ट भगवान सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची, श्यालावास कलां, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2023 द्वारा प्रार्थी धारासिंह पुत्र रामदयाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर ग्राम श्यालावास कलां, तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा नं0 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी भगवान सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची, श्यालावास कलां, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1972 को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट भगवान सिंह पुत्र नाथूसिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है क्योंकि अपीलाण्ट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.6.1972 को विधिवत आवंटन किया था तथा भूमि भी आवंटन योग्य थी तथा सिवायचक भूमि थी जिसका अंकन आवंटन आदेश मे भी किया गया है तथा आवंटन के बाद अपीलांट आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत तरीके से इन तथ्यों पर गौर किये बिना कयासों के आधार पर तथा आवंटन हेतु आवेदन पत्र पर अपीलांट प्रार्थी के हस्ताक्षर होने के बावजूद भी कयासों के आधार पर रेस्पो० नंबर 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलांट का आवंटन निरस्त करने मे गम्भीर कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० नंबर 1 द्वारा अपीलांट को हैरान व परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निहायत ही झूठे आधारों पर प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स का प्रस्तुत किया गया था क्योंकि अपीलांट को दिनांक 16.6.1972 को विधिवत आवंटन किया गया तथा आवंटन मजमेआम मे पूर्ण कोरम द्वारा व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर विधिवत किया गया तथा अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया गया तथा आवंटन के समय से ही अपीलांट अपनी आवंटनशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है तथा रिकॉर्डेड खातेदार है परन्तु इन तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के विधिवत हुये आवंटन को निरस्त करने मे गम्भीर कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० नंबर 1 द्वारा उठाये गये उज्रातों से बाहर जाकर मनमर्जी से गलत तथ्य अंकित कर निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न कानूनी दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि लम्बे अर्से के आवंटन को तकनीकी त्रुटि के आधार पर निरस्त नही किया जा सकता है परन्तु इस तथ्य पर गौर नही करके अपीलांट के हक मे लगभग 50 वर्ष पूर्व हुये आवंटन को निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कयासों के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अपने निर्णय मे विवेचन नही करके निर्णय पारित किया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 13.12.2023 जो प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स प्रकरण अनुवानी धारा सिंह बनाम भगवान सिंह प्रकरण संख्या 11/2019 पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि दिनांक 16.06.1972 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन हाल अपीलान्ट भगवानसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची, श्यालावास कलां तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया है। आवंटन फार्म पर भगवान सिंह के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है। प्रार्थना पत्र अधूरा है। बिना हस्ताक्षर के आवेदन नहीं माना जा सकता है, और अधूरे आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन का नामान्तरकरण एल. आर. एक्ट धारा 135 के तहत केवल तहसीलदार ही तस्दीक कर सकता था, जबकि उक्त आवंटन का नामान्तरकरण सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है। सरपंच इस आवंटन का नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्राधिकृत नहीं था। उक्त आवंटन भगवान सिंह को श्यालावास कलां का निवासी बताकर

प्रति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया गया है, जबकि श्यालावास कलां में भगवान सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। साक्ष्य के तौर पर प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 21.10.2019 की छायाप्रति संलग्न है। जब ग्राम पंचायत श्यालावास कलां में भगवान सिंह नाम का व्यक्ति नहीं है तो भगवान सिंह को गलत तरीके से उक्त आवंटन किया गया है। भगवान सिंह श्यालावास का नहीं है, इसका प्रमाण इसके वकालतनामें में लिखा गया पता भी है, जिसमें भगवान सिंह का पता बाढ बगीची, तहसील बसवा अंकित है। भगवान सिंह के पास बाढ बगीची में पूर्व से ही खातेदारी भूमि थी फिर भी उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार गलत किया गया है। खसरा नम्बर 200/1/6 में से भूमि आवंटन किया गया है। उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि नहीं थी। उक्त भूमि सहकारी समिति के नाम दर्ज भूमि थी। जिसका प्रमाण संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2027–32 प्रार्थना पत्र के संलग्न है। कानूनन सहकारी समिति की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं थी, बल्कि टीले एवं नालो की भूमि थी, जिसके सम्बन्ध में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान नम्बर 20 पूर्व के खसरा नम्बर 201/1/6 से बना है। गिरदावरी सम्वत 2072–75 में भूमि पुख्ता पडत एवं टीले नाले के रूप में दर्ज है, अर्थात् उक्त भूमि टीले एवं नाले की भूमि है जिसको कृषि योग्य सुधार करके कृषि नहीं की जा रही है। भगवान सिंह राजकीय कर्मचारी था जिसका प्रमाण आवंटी के द्वारा पेश किया गया है। आवंटी ने अपना पेन्शन पी.पी.ओ. पेश किया है। जिसके अनुसार यह वन विभाग का कार्मिक था। आवंटन के समय वह राजकीय कार्मिक था। राजकीय कार्मिक को राजकीय भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त अवैध रूप से किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई अपील मय हर्जा खर्चों खारिज फरमायी जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उप जिलाधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 16.06.1972 को ग्राम श्यालावास कलां, तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं0 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन हाल अपीलान्ट भगवान सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची, श्यालावास कलां, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 धारा सिंह ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2027–32 में खसरा नम्बर 200/1/6 सहकारी समिति के नाम दर्ज भूमि है, जब उक्त भूमि पूर्व से ही किसी संस्था/समिति के नाम दर्ज है तो उसे खाली काबिज काश्त भूमि मानकर आंवटन किया जाना नियमानुकूल नहीं था। इसी प्रकार वरवक्त आवंटन आवेदक भगवान सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के स्थान पर आवेदक भगवानसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। तस्दीक के स्थान पर आवेदक भगवान सिंह के हस्ताक्षर है परन्तु तस्दीक के पैरा के समस्त कॉलम खाली हैं। जब स्वयं आवेदक के आवश्यक स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है तथा तस्दीक के पैरा के कॉलम खाली है तो ऐसे अधूरे त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर प्रक्रिया को पूर्ण करना नियमानुकूल नहीं था, के

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2023 द्वारा प्रार्थी धारासिंह पुत्र रामदयाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर ग्राम श्यालावास कलां, तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा नं0 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी भगवान सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची, श्यालावास कलां, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1972 को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये थे, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2023 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर